राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– ई–11/नर्सिग/नर्स–2/एम– /18/ दिनांकः–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2017/1400 दिनांक 03.11.17 द्वारा श्रीमति मंजुला कोटेड, नर्स–द्वितीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाडा (डूंगरपुर) को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा तत्कालीन समय में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त चिकित्सा संस्थान में अधिशेष मानकर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के अधीन संचालित नवीन मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था, जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा वर्तमान में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्रीमति मंजुला कोटेड अधिशेष की श्रेणी में नहीं है, उनके स्थान पर श्री मोहम्मद जावेद, नर्स–द्वितीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाडा (डूंगरपुर) अधिशेष है।

फलस्वरूप श्रीमति मंजुला कोटेड नर्स–द्वितीय की निदेशालय के आदेश दिनांक 03.11.17 द्वारा की गयी प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाती है, उनके स्थान पर श्री मोहम्मद जावेद, नर्स–द्वितीय को राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

-sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– ई–11/नर्सिग/नर्स–2/एम–82/18/920 दिनांकः– 6/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन उदयपुर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी का निर्धारण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व सीसीए नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्रादि भिजवावें।
2. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर।
4. सबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।